पृष्ठ

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 27)........ 177
The Securities Laws (Amendment) Act, 2014

शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 29)........ 195
The Apprentices (Amendment) Act, 2014

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 31)........ 201
The Merchant Shipping (Amendment) Act, 2014

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 33)........ 207
The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Amendment Act, 2014

योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 37)........ 215
The School of Planning and Architecture Act, 2014

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 39)........ 233
The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2014

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 40)........ 235
The National Judicial Appointments Commission Act, 2014

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1)........ 241
The Citizenship (Amendment) Act, 2015

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 3)........ 247
The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2015

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 12)........ 249
The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2015

रजिस्ट्री सं° डी°-221

REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं° 3 नई दिल्ली, सोमवार, 10 अगस्त, 2015/19 श्रावण, 1937 (शक) खंड LI

No. 3 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015/SHRAVANA 19, 1937 (SAKA) Vol. LI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2015/19 श्रावण, 1937 (शक)

दि सिक्युरिटीज लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (2) दि अप्रेन्टिसिस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (3) दि मर्चेंट शिपिंग (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (4) दि लेबर लॉज (एक्जेमपशन फ्राम फर्निशिंग रिटर्न्स एण्ड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाई सर्टेन एस्टेबलिशमेंट्स) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (5) दि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड अर्किटेक्चर ऐक्ट, 2014; (6) दि नेशनल कैपिटल टैरीटरी ऑफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोविजन्स) सेकेंड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (7) दि नेशनल जुडिशियल अपाइंटमेंट्स कमीशन ऐक्ट, 2014; (8) दि सिटिजनशिप (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; (9) दि मोटर वेहिकल्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015; और (10) दि आंध्र प्रदेश रिआरगेनाइजेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2015 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, August 10, 2015/*Shravana* 19, 1937 *(Saka)*

The translation in Hindi of the following, namely:—The Securities Laws (Amendment) Act, 2014; (2) The Apprentices (Amendment) Act, 2014; (3) The Merchant Shipping (Amendment) Act, 2014; (4) The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Amendment Act, 2014; (5) The School of Planning and Architecture Act, 2014; (6) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2014; (7) The National Judicial Appointments Commission Act, 2014; (8) The Citizenship (Amendment) Act, 2015; (9) The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2015; and (10) The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2015 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 27)

[22 अगस्त, 2014]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992,
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
और निक्षेपागार अधिनियम, 1996
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 5 के खंड (ii), धारा 6 से धारा 16, धारा 25 से धारा 33, धारा 36 और धारा 41 से धारा 48 को छोड़कर यह 18 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 5 के खंड (ii), धारा 16, धारा 33, धारा 36 और धारा 48 के उपबंध 28 मार्च, 2014 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(4) इस अधिनियम की धारा 6 से धारा 15, धारा 25 से धारा 32 और धारा 41 से धारा 47 के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

धारा 11 का संशोधन।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 में,— 1992 का 15

(i) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (झक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(झक) किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी या बोर्ड या निगम सहित किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना और अभिलेख मंगाना, जो बोर्ड की राय में प्रतिभूतियों में किसी संव्यवहार की बाबत बोर्ड द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के लिए सुसंगत होगा ;" ;

(ख) खंड (झक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और उसको 6 मार्च, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(झख) प्रतिभूति विधियों के संबंध में अतिक्रमणों के निवारण या उनका पता लगाने से संबंधित मामलों में, इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के समान कृत्य करने वाले अन्य प्राधिकारियों से, चाहे वे भारत में हों या भारत के बाहर, सूचना मंगाना या उनको सूचना देना :

परंतु बोर्ड, भारत से बाहर किसी प्राधिकारी को किसी सूचना को देने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्राधिकारी के साथ कोई ठहराव या करार या बात तय कर सकेगा ;" ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 11ख या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 के 1956 का 42
अधीन जारी निदेश के अनुसरण में प्रत्यर्पित रकम को, बोर्ड द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता 1996 का 22
संरक्षण और शिक्षा निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी रकम का, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा उपयोग किया जाएगा ।"।

धारा 11कक का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11कक में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "उपधारा (2)", शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी ऐसी स्कीम या ठहराव के अधीन निधियों का पूल किया जाना, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं या उपधारा (3) के अधीन समाविष्ट नहीं हैं, जिसमें एक सौ करोड़ रुपए या अधिक की समग्र रकम अंतर्वलित है, सामूहिक विनिधान स्कीम होना समझा जाएगा ।" ;

(ii) उपधारा (2) के आरंभिक भाग में, "कंपनी" शब्द के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों का समाधान करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्थापित की गई कोई स्कीम या ठहराव ।" ;

(iv) उपधारा (3) में,—

(क) "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ix) ऐसी अन्य स्कीम या ठहराव जिसको केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित करे,"।

4. मूल अधिनियम की धारा 11ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 11ख का संशोधन।

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है ।" ।

5. मूल अधिनियम की धारा 11ग में,— धारा 11ग का संशोधन।

(i) उपधारा (8) में, "अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को" शब्दों के स्थान पर "मुंबई में ऐसे नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(8क) प्राधिकृत अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या दोनों की सेवाओं की, उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करना प्रत्येक ऐसे अधिकारी का कर्तव्य होगा।";

(iii) उपधारा (9) में दोनों स्थानों पर आने वाले "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट न्यायालय का मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (10) में "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर "नामनिर्दिष्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 15क के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 15क का संशोधन।

धारा 15ख का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 15ख में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए या जो एक करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, होगी, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, " ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15ग का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15ग में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15घ का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 15घ में,—

(i) खंड (क) में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह ऐसी किसी सामूहिक विनिधान स्कीम को, जिसके अंतर्गत पारस्परिक निधियां हैं, प्रायोजित करता है या चलाता है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह ऐसी किसी सामूहिक विनिधान स्कीम को, जिसके अंतर्गत पारस्परिक निधियां हैं, प्रायोजित करता है या चलाता है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15ङ का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 15ङ में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15च का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 15च में,—

(i) खंड (क) में, "ऐसी शास्ति का, जो उस रकम के पांच गुने से अधिक नहीं होगी," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस रकम तक की हो सकेगी," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "ऐसी शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए होगी या जो एक करोड़ रुपए होगी, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह ऐसी किसी सामूहिक विनिधान स्कीम को, जिसके अंतर्गत पारस्परिक निधियां हैं, प्रायोजित करता है या चलाता है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) में, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए होगी या विनिर्दिष्ट दलाली के आधिक्य में प्रभारित दलाली की रकम का पांच गुना होगी," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो विनिर्दिष्ट दलाली के आधिक्य में प्रभारित दलाली की रकम के पांच गुने तक की हो सकेगी," शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 15छ में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसे आंतरिक व्यापार से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसे आंतरिक व्यापार से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15छ का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 15ज में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसी असफलता से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी असफलता से प्राप्त लाभ की रकम का तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15ज का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 15जक में, "पच्चीस करोड़ रुपए होगी या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ की रकम के तीन गुना होगी, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी प्रथाओं से प्राप्त लाभ की रकम के तीन गुना हो सकेगी, इनमें से जो भी अधिक हो," शब्द रखे जाएंगे। धारा 15जक का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 15जख में, "ऐसी शास्ति का, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 15जख का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 15झ में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– धारा 15झ का संशोधन।

"(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा तथा यदि उसका यह विचार है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस विस्तार तक गलत है, जहां तक यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 15न के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।"।

17. मूल अधिनियम की धारा 15जक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— नई धारा 15जख का अंतःस्थापन।

"15जख. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही धारा 11, धारा 11ख, धारा 11घ, धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 15झ के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जा सकेगी, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा । प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन निपटारा कार्यवाहियों को, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 15न के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

धारा 15न का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 15न की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 26 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 26क, धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ का अंतःस्थापन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

"26क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति, किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, किसी सेशन न्यायाधीश या किसी अपर सेशन न्यायाधीश का पद धारण नहीं कर रहा है ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

26ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा । 1974 का 2

अपील और पुनरीक्षण ।

26ग. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय हो । 1974 का 2

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

26घ. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाले किसी पद को धारण करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

26ङ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : 1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए
1974 का 2 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।''।

21. मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 28क का अंतःस्थापन ।

'28क. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है या धन के प्रतिदाय के लिए बोर्ड के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 11ख के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात्:— रकमों की वसूली ।

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

1961 का 43 और इस प्रयोजन के लिए आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और आय–कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय कर के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति निर्देश हैं।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के वयस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 2**—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।

स्पष्टीकरण 3—आय–कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निर्देश का, इस अधिनियम की धारा 15न के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है। 1961 का 43

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 11ख के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।'।

धारा 30 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(गक) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन जमा की गई रकम का उपयोग किया जाना ;

(गख) धारा 11कक की उपधारा (2क) के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम से संबंधित अन्य शर्तों का पूरा किया जाना ; " ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घक) धारा 15जख की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन और उपधारा (3) के अधीन निपटारा कार्यवाहियों के संचालन के लिए प्रक्रिया ;

(घख) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।" ।

नई धारा 34क का अंतःस्थापन।

23. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

"34क. बोर्ड के समरूप कृत्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों से, चाहे वे भारत में हैं या भारत के बाहर हैं, जानकारी मांगने या उनको जानकारी देने के संबंध में और प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे।"।

अध्याय 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

धारा 12क का संशोधन।

24. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 12क में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1956 का 42

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप

में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है ।" ।

25. मूल अधिनियम की धारा 23क के खंड (क) और खंड (ख) में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 23क का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 23ख में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगी" शब्दों के स्थान पर "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगी" शब्द रखे जाएंगे। धारा 23ख का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 23ग में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की, या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगी" शब्द रखे जाएंगे। धारा 23ग का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 23घ में, "एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 23घ का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 23ङ में, "पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं हागी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 23ङ का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 23च में, "पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 23च का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 23छ में, "पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो पांच लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 23छ का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 23ज में, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 23ज का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 23झ में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 23झ का संशोधन ।

"(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा तथा यदि उसका यह विचार है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस विस्तार तक गलत है, जहां तक यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो

वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 15ठ के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।"।

नई धारा 23जक का अंतःस्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 23ञ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

"23जक. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही धारा 12क या धारा 23झ के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जाए, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार 1992 का 15 अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन निपटारे के प्रयोजनों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी । 1992 का 15

(4) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 23ठ के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

नई धारा 23जख का अंतःस्थापन ।

35. इस प्रकार अंतःस्थापित की गई, मूल अधिनियम की धारा 23जक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रकमों की वसूली ।

'23जख. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है या धारा 12क के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है) तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 1961 का 43 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक

उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस
1961 का 43 अधिनियम के उपबंध थे और आय-कर अधिनियम 1961 के अधीन आय–कर के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति, निर्देश हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के वयस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 2**—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 3**—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति किसी निर्देश का, इस अधिनियम की धारा 23ठ के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है।

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 12क के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।'।

36. मूल अधिनियम की धारा 23ठ की उपधारा (1) के पश्चात् "धारा 4ख" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या धारा 23झ की उपधारा (3)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 23ठ का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा । धारा 26 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 26क, धारा 26ख, धारा 26ग, धारा 26घ और धारा 26ङ का अंतःस्थापन ।

"26क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी । विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, किसी सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश का पद धारण नहीं कर रहा है ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

26ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा । 1974 का 2

अपील और पुनरीक्षण ।

26ग. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सकें, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय हो । 1974 का 2

विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

26घ. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाले किसी पद को धारण करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

26ङ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : 1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए संहिता की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।"।

धारा 31 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(ग) धारा 23जक की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन;

(घ) कोई अन्य विषय जिनको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए या जिनके संबंध में उपबंध, विनियमों द्वारा किया जाना है।"।

40. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 32 का अंतःस्थापन।

"32. प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों।"। कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

अध्याय 4

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन

1996 का 22 41. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 19 का संशोधन।

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेशों को जारी करने की शक्ति में, किसी ऐसे व्यक्ति को, निदेश करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव उसका सम्मिलित होना समझा जाएगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में, किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लगकर, ऐसे उल्लंघन से कमाए गए सदोष अभिलाभ या टाली गई हानि के समान रकम का प्रत्यर्पण करने के लिए लाभ कमाता है या हानि को टालता है।"।

42. मूल अधिनियम की धारा 19क के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19क का संशोधन।

43. मूल अधिनियम की धारा 19ख में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19ख का संशोधन।

44. मूल अधिनियम की धारा 19ग में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19ग का संशोधन।

45. मूल अधिनियम की धारा 19घ में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19घ का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 19ङ में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 19ङ का संशोधन।

धारा 19च का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 19च में, "ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए की या एक करोड़ रुपए की, जो भी कम हो, शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रुपए की अधिकतम शास्ति के अधीन रहते हुए एक लाख रुपए तक की हो सकेगी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19छ का संशोधन।

48. मूल अधिनियम की धारा 19छ में, "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी," शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19ज का सशोधन ।

49. मूल अधिनियम की धारा 19ज में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(3) बोर्ड इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा तथा यदि उसका यह विचार है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश उस विस्तार तक गलत है जहां तक यह प्रतिभूति बाजार के हितों में नहीं है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यदि मामले की परिस्थितियां उसको न्यायोचित ठहराती हैं, शास्ति की मात्रा में वृद्धि करते हुए, आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है :

परन्तु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान या धारा 23क के अधीन अपील के निपटान के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू नहीं होगी।"।

नई धारा 19झक का अंतःस्थापन ।

50. मूल अधिनियम की धारा 19झ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उसको 20 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा ।

"19झक. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही, यथास्थिति, धारा 19 या धारा 19ज के अधीन आरंभ की गई है या आरंभ की जाए, अभिकथित व्यतिक्रमों के लिए आरंभ की गई या आरंभ की जाने वाली कार्यवाहियों के निपटारे का प्रस्ताव करने के लिए बोर्ड को लिखित में आवेदन फाइल कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, व्यतिक्रमों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात्, व्यतिक्रमी द्वारा ऐसी राशि के संदाय पर या ऐसे अन्य निबंधनों पर, जो बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार 1992 का 15 अवधारित किए जाएं, निपटारे के लिए प्रस्ताव से सहमत हो सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन निपटारे के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी । 1992 का 15

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 23क के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।"।

नई धारा 19झख का अंतःस्थापन ।

51. इस प्रकार अंतःस्थापित की गई, मूल अधिनियम की धारा 19झक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रकमों की वसूली ।

"19झख. (1) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है या धारा 19 के अधीन जारी प्रत्यर्पण आदेश के निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड को देय किन्हीं फीसों का संदाय करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी, व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपने लेख में एक कथन (ऐसे कथन को इस अध्याय में इसके पश्चात् प्रमाणपत्र कहा गया है)

तैयार कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति से प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को निम्नलिखित एक या अधिक पद्धतियों से वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की ;

(ग) व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय ;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारागार में उसका निरोध ;

(ङ) व्यक्ति की जंगम और स्थावर संपत्तियों के प्रबंध के लिए प्रापक की नियुक्ति,

1961 का 43 और इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से धारा 227, धारा 228क, धारा 229, धारा 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों तथा समय-समय पर प्रवृत्त आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंध, जहां तक हो सके ऐसे आवश्यक उपांतरणों के साथ लागू हो सकेंगे मानो उक्त उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, इस अधिनियम के उपबंध थे और आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय-कर के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन देय रकम के प्रति निर्देश हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में, ऐसी कोई संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन सम्मिलित हैं, जो ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अंतरित किए गए हैं, जब प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कोई रकम, व्यक्ति द्वारा पर्याप्त प्रतिफल से भिन्न उसके पति या पत्नी या अप्राप्तवय बालक या पुत्र की पत्नी या पुत्र के अप्राप्तवय बालक को देय हो चुकी थी और जो पूर्वोक्त किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारित की गई है या उनके नाम पर है और जहां तक उसके अप्राप्तवय बालक या उसके पुत्र के अप्राप्तवय बालक को इस प्रकार अंतरित जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन का संबंध है वहां उसका, यथास्थिति, ऐसे अप्राप्तवय बालक या पुत्र के अप्राप्तवय बालक के वयस्क होने की तारीख के पश्चात् भी इस अध्यादेश के अधीन व्यक्ति से देय किसी रकम की वसूली करने के लिए व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या बैंक खातों में धारित धन में सम्मिलित होना बना रहेगा ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 2**—आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के उपबंधों के अधीन निर्धारिती के प्रति किसी निर्देश का, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।

1961 का 43 **स्पष्टीकरण 3**—आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17घ और दूसरी अनुसूची में अपील के प्रति निर्देश का, इस अधिनियम की धारा 23क के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है।

(2) वसूली अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किसी निदेश के अननुपालन के अनुसरण में उपधारा (1) के अधीन किसी वसूली अधिकारी द्वारा रकमों की वसूली की, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य दावे पर अग्रता होगी ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "वसूली अधिकारी" पद से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

धारा 22 का संशोधन।

52. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 22ग, धारा 22घ, धारा 22ङ, धारा 22च, और धारा 22छ का अंतःस्थापन ।

53. मूल अधिनियम की धारा 22ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों की स्थापना किया जाना ।

"22ग. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों को, जितने आवश्यक हों, स्थापित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) विशेष न्यायालय, ऐसे एकल न्यायाधीश से गठित होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जिसकी अधिकारिता के भीतर नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है, नियुक्त किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व, यथास्थिति, किसी सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश का पद धारण नहीं कर रहा है ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

22घ. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व या ऐसे प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् किए गए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का, ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, उनमें से ऐसे किसी एक द्वारा, जो संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा । 1974 का 2

अपील और पुनरीक्षण ।

22ङ. उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा, उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का, जहां तक लागू हो सकें, उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला कोई सेशन न्यायालय था । 1974 का 2

विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों में संहिता का लागू होना ।

22च. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय का, सेशन न्यायालय होना समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थातर्गत लोक अभियोजक होना समझा जाएगा । 1974 का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को, सात वर्ष से अन्यून के लिए अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में होना चाहिए या संघ या राज्य के अधीन सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए विधि के विशेष ज्ञान की अपेक्षा करने वाले किसी पद को धारण करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

22छ. इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जब तक विशेष न्यायालय स्थापित न किया जाए, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और विचारण किया जाएगा : 1974 का 2

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने के लिए संहिता की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ।" ।

54. मूल अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा । धारा 23क का संशोधन।

55. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :– धारा 25 का संशोधन।

"(ज) धारा 19झक की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियों के निपटारे के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित निबंधन ; और

(झ) कोई अन्य विषय जिनको विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए या जिनके संबंध में उपबंध, विनियमों द्वारा किया जाना है।"।

56. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 30क का अंतःस्थापन।

"30क. प्रशासनिक तथा सिविल कार्यवाहियों के निपटान के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या कोई बात, सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो मूल अधिनियम में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे।"। कतिपय अधिनियमों का विधिमान्यकरण।

2014 का अध्यादेश सं० 2 **57.** इस तथ्य के होते हुए भी कि प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 प्रवर्तन में नहीं रह गया है, उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो ऐसे उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे। विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 29)

[5 दिसम्बर, 2014]

शिक्षु अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1961 का 52 2. शिक्षु अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) खंड (घ) के उपखंड (1) में, मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(खख) कोई स्थापन, जो चार या अधिक राज्यों में स्थित विभिन्न स्थानों से कारबार या व्यवसाय चलाता है, अथवा;";

(ii) क्रमशः खंड (ङ), खंड (ञ) और खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(ङ) "अभिहित व्यवसाय" से ऐसा कोई व्यवसाय या उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय-क्षेत्र या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(ञ) "स्नातक या तकनीकी शिक्षु" से ऐसा शिक्षु अभिप्रेत है, जिसके पास सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रदान की गई इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता या जो उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और जो किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है;

(ट) "उद्योग" से ऐसा उद्योग या कारोबार अभिप्रेत है, जिसमें कोई व्यवसाय, उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी का कोई विषय-क्षेत्र या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अभिहित व्यवसाय या वैकल्पिक व्यवसाय या दोनों के रूप में विनिर्दिष्ट है;';

(iii) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ठठ) "वैकल्पिक व्यवसाय" से कोई व्यवसाय या उपजीविका अथवा इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कोई ऐसा विषय-क्षेत्र अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियोजक द्वारा अवधारित किया जाए;

(ठठठ) "पोर्टल साइट" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जानकारी के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट अभिप्रेत है;';

(iv) खंड (तत) में, "किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के ऐसे विषय-क्षेत्र में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो विहित किया जाए" शब्दों के स्थान पर "अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (थ) और खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(थ) "व्यवसाय शिक्षु" से कोई शिक्षु अभिप्रेत है, जो किसी अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करता है;

(द) "कर्मकार" से नियोजक के परिसर में कार्यरत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रकार के काम में या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकरण के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ठेकेदार आता है, मजदूरी पर नियोजित किया जाता है और जो अपनी मजदूरी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजक से प्राप्त करता है, किन्तु इसके अंतर्गत खंड (कक) में निर्दिष्ट शिक्षु नहीं होगा।'।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) चौदह वर्ष से कम आयु का न हो, और परिसंकटमय उद्योगों से संबंधित अभिहित व्यवसायों के लिए अठारह वर्ष से कम आयु का न हो; और"।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) नियोजक द्वारा, उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक शिक्षुता संविदा, शिक्षुता सलाहकार को तब तक तीस दिन के भीतर भेजी जाएगी, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल वेबसाइट विकसित नहीं कर ली जाती है और उसके पश्चात् शिक्षुता संविदा के ब्यौरे सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण के लिए सात दिन के भीतर पोर्टल साइट पर डाले जाएंगे।

(4क) शिक्षुता सलाहकार, शिक्षुता संविदा में आक्षेप की दशा में, इसके प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर नियोजक को आक्षेप संप्रेषित करेगा।

(4ख) शिक्षुता सलाहकार, शिक्षुता संविदा के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर इसको रजिस्ट्रीकृत करेगा।";

(ii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 5क और धारा 5ख का अंत:स्थापन।

"5क. वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षु से संबंधित अर्हता, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षण आयोजित करना, प्रमाणपत्र देना और अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं। वैकल्पिक व्यवसाय का विनियमन।

5ख. नियोजक, शिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए अन्य राज्यों से शिक्षु रख सकेगा।"। अन्य राज्यों से शिक्षुओं को रखा जाना।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में,— धारा 6 का संशोधन।

(i) खंड (क) में, "उस परिषद् द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता परीक्षण की कालावधि उतनी होगी, जितनी उस परिषद् या उस परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा अवधारित की जाए" शब्दों के स्थान पर "उस परिषद् या उस परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता परीक्षण की कालावधि उतनी होगी जितनी विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) ऐसे व्यवसाय शिक्षुओं की दशा में, जो राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड से या किसी अन्य प्राधिकरण से या किसी स्कीम के अधीन अनुमोदित पाठ्यक्रम से, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संबद्ध या मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करके उस बोर्ड या राज्य परिषद् या प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित व्यावसायिक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि उतनी होगी, जितनी विहित की जाए;"।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 8 का प्रतिस्थापन।

"8. (1) केंद्रीय सरकार, अभिहित व्यवसाय और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए नियोजक द्वारा लगाए जाने वाले शिक्षुओं की संख्या विहित करेगी। अभिहित व्यवसाय और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए शिक्षुओं की संख्या।

(2) कई नियोजक, उनके अधीन शिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार या तो स्वयं या शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण के माध्यम से एक साथ कार्य कर सकेंगे।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) प्रत्येक नियोजक अपने द्वारा रखे गए हर शिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अनुसरण कराने के लिए उपयुक्त इंतजाम अपने कार्य-स्थल में करेगा।";

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) वे व्यवसाय-शिक्षु, जिन्होंने राष्ट्रीय परिषद् से मान्यताप्राप्त विद्यालय या अन्य संस्था में अथवा राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण से, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संबद्ध या मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कार्य-स्थल में प्रवेश के पूर्व एक बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेंगे और व्यवसाय शिक्षुओं के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपयुक्त सुविधाओं वाले किसी संस्थान में कराया जाएगा।";

(iii) उपधारा (4क), उपधारा (4ख), उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया जाएगा।

(iv) उपधारा (7) और उपधारा (7क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(7) किसी स्नातक या तकनीकी शिक्षु या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षु से भिन्न शिक्षु की दशा में व्यावहारिक प्रशिक्षण का, जिसके अंतर्गत किसी अभिहित व्यवसाय में बुनियादी प्रशिक्षण भी है, पाठ्य-विवरण और उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपस्कर ऐसे होंगे, जैसे केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

(7क) स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं या तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षुओं की दशा में शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभिहित व्यवसाय में ऐसे प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएं ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।";

(v) उपधारा (8) के खंड (ग) के आरंभ में, "स्नातक या तकनीकी शिक्षुओं" शब्दों से पूर्व "ऐसे शिक्षुओं के सिवाय, जिनके पास गैर-इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा है," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 15 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(1) जब कोई शिक्षु किसी कर्मशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसके साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे प्रशिक्षण अवधि, यदि विहित हो, की अनुपालना के अध्यधीन नियोजक द्वारा यथा अवधारित होंगे।";

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) शिक्षु, ऐसी छुट्टी और अवकाश दिनों का, जो उस स्थापन में, जिसमें वह काम कर रहा है, मनाए जाते हैं, हकदार होगा।";।

धारा 19 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल साइट विकसित नहीं कर ली जाती है, हर नियोजक, ऐसी जानकारी और विवरणियां ऐसे प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे अंतरालों पर देगा जैसे विहित किए जाएं।

(3) हर नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत विकसित की गई पोर्टल साइट पर शिक्षुता प्रशिक्षण की बाबत शिक्षुओं की व्यवसाय-वार आवश्यकता और शिक्षुओं को रखने के ब्यौरे भी देगा।"।

धारा 21 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) हर व्यवसाय शिक्षु, जिसने प्रशिक्षण की कालावधि पूरी कर ली है उस अभिहित व्यवसाय में, जिसमें उसने शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसकी प्रवीणता अवधारित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित किए जाने वाले परीक्षण में बैठ सकेगा।"।

(ii) उपधारा (2) में, "राष्ट्रीय परिषद्" शब्दों के पश्चात् "या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) हर नियोजक, किसी ऐसे शिक्षु को, जिसने उसके स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है, भर्ती करने के लिए अपनी स्वयं की नीति बनाएगा।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 30 में,— धारा 30 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) यदि कोई नियोजक, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन शिक्षुओं की ऐसी संख्या के संबंध में करता है, जो उससे उन उपबंधों के अधीन रखने की अपेक्षा की है, तो उसे समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे उल्लंघन के कारणों को स्पष्ट करने के लिए लिखित में एक मास की सूचना दी जाएगी।

(1क) उस दशा में, जब नियोजक उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना का उत्तर देने में असफल रहता है या उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी का नियोजक द्वारा दिए गए कारणों से समाधान नहीं होता है तो वह पहले तीन मास के लिए प्रत्येक शिक्षुता मास की कमी के लिए पांच सौ रुपए के जुर्माने से और उसके पश्चात् तब तक, जब तक ऐसे स्थानों की संख्या नहीं भर ली जाती, एक हजार रुपए प्रतिमास के जुर्माने से दण्डनीय होगा।"।

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(छ) किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षु रखेगा जो इस प्रकार रखे जाने के लिए अर्हित नहीं है; या

(ज) किसी शिक्षुता संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा,"

(ख) "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से," शब्दों के स्थान पर, "हर घटना के लिए एक हजार रुपए के जुर्माने, से" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) उपधारा (2) के उपबंध ऐसे स्थापन या उद्योग को लागू नहीं होंगे जो रुग्ण
1986 का 1 औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन है।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 37 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 37 का संशोधन।

"(1क) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत, उस तारीख से अपूर्व की तारीख को, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, ऐसे नियमों या उनमें से किसी को भूतलक्षी रूप से बनाने की शक्ति भी है किन्तु किसी ऐसे नियम को, ऐसा भूतलक्षी प्रभाव किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं दिया जाएगा जिसको ऐसा नियम लागू हो।"।

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 31)

[9 दिसम्बर, 2014]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1958 का 44

नए भाग 11ख का अंत:स्थापन।

2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में भाग 11क के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'भाग 11ख

पोतों पर हानिप्रद कलुषित प्रणाली का नियंत्रण

लागू होना। 356त. (1) इस भाग में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह भाग निम्नलिखित को लागू होगा—

(क) प्रत्येक भारतीय पोत को, वह जहां कहीं भी हो;

(ख) ऐसे पोतों को, जो भारत का ध्वज लगाने के हकदार नहीं हैं किन्तु जो भारत के प्राधिकार के अधीन प्रचालन करते हैं; और

(ग) ऐसे पोतों को, जो भारत के पत्तन, पोत प्रांगण या अपतट टर्मिनल या स्थान या भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के भीतर या उससे लगा हुआ किसी ऐसे सामुद्रिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिन पर राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय 1976 का 80 प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में भारत को अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् अनन्य अधिकारिता हो सकेगी।

(2) यह भाग किसी युद्धपोत, नौसेना सहायक या भारत के स्वामित्वाधीन या केवल उसके प्राधिकार से या उसके अधीन प्रचालित अन्य ऐसा पोत जिसका तत्समय केवल सरकारी गैर-वाणिज्यिक सेवा के लिए उपयोग किया जा रहा है, को लागू नहीं होगा:

परन्तु यह कि सरकार, ऐसे पोतों की दशा में ऐसे समुचित उपाय अपनाकर जो ऐसे पोतों के प्रचालन या प्रचालन क्षमता का ह्रास न करें, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे पोतों का प्रचालन ऐसी विहित रीति में किया जाए जो इस भाग के सुसंगत है।

परिभाषाएं। 356थ. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कलुषित प्रणाली" से विलेपन, पेंट, सतही उपचार, ऐसी सतह या युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग पोत पर अवांछित अवयवों को नियंत्रित या निवारित करने के लिए किया जाता है;

(ख) "प्राधिकारी" से—

(i) भारत सरकार जिसके प्राधिकार के अधीन पोत प्रचालन कर रहा है; या

(ii) किसी अन्य देश का ध्वज लगाने के हकदार पोत के संबंध में, उस देश की सरकार; और

(iii) भारतीय समुद्र तट से लगा हुआ समुद्र तल और उसकी अवमृदा की खोज और समुपयोजन में लगे हुए ऐसे प्लवमान प्लेटफार्मों के संबंध में, जिन पर अपने प्राकृतिक संसाधनों की खोज और समुपयोजन के प्रयोजनों के लिए (जिसमें प्लवमान भंडारण इकाइयां और प्लवमान उत्पादन भंडारण और सामान उतारने की इकाइयां भी हैं) भारत सरकार संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करती है, भारत सरकार,

अभिप्रेत है;

(ग) "समिति" से संगठन की सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण समिति अभिप्रेत है;

(घ) " अभिसमय" से पोतों पर हानिप्रद कलुषित प्रणाली के नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2001 अभिप्रेत है;

(ङ) "सकल टनभार" से पोतों का टनभार माप अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के उपाबंध 1 में अंतर्विष्ट टनभार माप विनियमों या किसी उत्तरवर्ती अभिसमय, जो भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित या माना गया है अथवा अंगीकर किया गया है के अनुसार संगणित वर्णित सकल टनभार अभिप्रेत है;

(च) "अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा" से किसी राज्य का ध्वज लगाने के हकदार पोत द्वारा किसी अन्य राज्य की अधिकारिता के अधीन किसी पत्तन, पोत प्रांगण या अपतट टर्मिनल को या विपर्यत: समुद्रयात्रा अभिप्रेत है;

(छ) "लंबाई" से ऐसी लंबाई अभिप्रेत है जो इससे संबंधित 1988 के प्रोटोकाल द्वारा यथा उपांतरित अंतरराष्ट्रीय भार रेखा अभिसमय, 1966 या किसी ऐसे उत्तरवर्ती अभिसमय, में जो कि भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित या मानी गई या अंगीकृत है, में परिभाषित है;

(ज) "संगठन" से अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन अभिप्रेत है;

(झ) "पत्तन" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसका है और इसके अंतर्गत कोई टर्मिनल, चाहे वह पत्तन सीमाओं के भीतर हो या उससे अन्यथा, भी होगा;

1908 का 15
1963 का 38

(ञ) "पोत" से समुद्री वातावरण में प्रचालित किसी प्रकार का जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत हाइड्रोफाइल नौकाएं, एयरकुशन यान, अवगाहन-क्षम तरणयान यान, स्थिर या तरण प्लेटफार्म, प्लवमान भंडारण इकाइयां तथा प्लवमान उत्पादन भंडारण तथा सामान उतारने की इकाइयां भी हैं।

कलुषित प्रणालियों का नियंत्रण।

356द. (1) प्रत्येक भारतीय पोत और अन्य पोत, जो भारतीय ध्वज लगाने के हकदार नहीं हैं किन्तु भारत के प्राधिकार के अधीन प्रचालन कर रहे हैं, इस भाग में उपवर्णित अपेक्षाओं का पालन करेंगे जिसके अन्तर्गत समय-समय पर यथा विहित लागू मानकों और अपेक्षाओं के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे पोत ऐसी अपेक्षाओं का पालन करें, ऐसे प्रभावी उपाय भी हैं जो समय-समय पर विहित किए जाएं।

(2) अन्य सभी जलयान जिन्हें यह भाग लागू होता है, समय-समय पर यथाविहित कलुषित प्रणालियों की अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र का जारी करना।

356ध. (1) कोई भी भारतीय पोत या भारतीय ध्वज लगाने या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालन करने के हकदार अन्य पोत,जिनका सकल टनभार 400 टन या उससे अधिक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उस पोत के संबंध में उसके फलक पर, अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली के नाम से ज्ञात प्रमाणपत्र महानिदेशक द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के लिए ऐसी प्रक्रियाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो समय-समय पर विहित की जाएं, जारी प्रमाणपत्र न हो।

(2) कोई भी भारतीय पोत या भारत का ध्वज लगाने या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालन करने के हकदार अन्य पोत ऐसे स्थिर या प्लवमान प्लेटफार्म या प्लवमान भंडारण इकाइयों और प्लवमान उत्पादन भंडारण और सामान उतारने की इकाइयों को छोड़कर जिनकी लंबाई 24 मीटर या उससे अधिक है किन्तु सकल टनभार 400 टन से कम है, अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उनके फलक पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी प्रक्रियाओं और निबंधनों के, जो समय-समय पर विहित किए जाएं, के अधीन रहते हुए एक घोषणा न हो।

(3) ऐसी समुचित शर्तों के साथ जो प्रत्येक प्रकार के पोतों को लागू होती हैं, भारतीय ध्वज लगाने के हकदार ऐसे भारतीय पोत जिनका सकल टनभार 400 टन और उससे अधिक है और जो अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा में नहीं लगे हुए हैं और जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है, को ऐसा भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जो समय-समय पर विहित किया जाए।

भारत में विदेशी पोतों और विदेशों में भारतीय पोत के लिए कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करना।

356न. (1) केन्द्रीय सरकार, उस देश की सरकार के अनुरोध पर, जिसको अभिसमय लागू होता है, उस देश के किसी पोत की बाबत अभिसमय के अनुसार एक अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली जारी कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र उचित रूप से जारी किया जा सकता है और जहां ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है वहां उसमें यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि यह इस निमित्त समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुरोध पर इस प्रकार जारी किया गया है।

(2) केंद्रीय सरकार उस देश की सरकार से, जिसको अभिसमय लागू होता है, उस पोत की बाबत जिसको ये भाग लागू होता है, अभिसमय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध कर सकेगी और ऐसे अनुरोध के अनुसरण में इस

प्रकार जारी प्रमाणपत्र में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि यह इस प्रकार जारी किया गया है और उसका वही प्रभाव होगा मानो यह केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया हो।

अपशिष्ट पदार्थों का नियंत्रण।

356प. केंद्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय नियमों, मानकों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने राज्यक्षेत्र में यह अपेक्षा करते हुए कि भारत में किसी व्यक्ति द्वारा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किसी कलुषित प्रणाली के उपयोजन या हटाए जाने से उत्पन्न अपशिष्टों का संग्रहण, प्रबन्ध, उपचार और व्ययन सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त रीति में किया जाए, नियम विहित करेगी और समुचित उपाय करेगी।

कलुषित प्रणालियों का अभिलेख।

356फ. (1) प्रत्येक पोत जिसको यह भाग लागू होता है, विहित प्ररूप में कलुषित प्रणाली का अभिलेख रखेगा।

(2) ऐसी रीति, जिसमें कलुषित प्रणालियों का अभिलेख रखा जाएगा, अभिसमय और इस भाग के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएगी।

सकल टन भार 400 टन से अधिक सभी पोतों का निरीक्षण और नियंत्रण।

356ब. (1) महानिदेशक द्वारा, इस निमित्त सर्वेक्षक के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त समय पर किसी पोत का जिसको इस भाग के उपबंधों में से कोई उपबन्ध लागू होता है, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निरीक्षण कर सकेगा—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस भाग द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित प्रतिषेधों, निबंधनों और बाध्यताओं का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यह सत्यापन करने के लिए कि जहां अपेक्षित है वहां फलक पर कोई विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या कलुषित प्रणाली संबंधी घोषणा है; या

(ग) ऐसी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए जो समय-समय पर विहित की जाएं, पोत की कलुषित प्रणाली का संक्षिप्त नमूना लेना जिससे कलुषित प्रणाली की समग्रता, अवसंरचना या प्रचालन प्रभावित न हो; और

(घ) फलक पर अनुरक्षण के लिए अपेक्षित किसी अभिलेख का सत्यापन करने के लिए।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए ऐसे नमूनों के परिणाम को व्यवहार में लाने के लिए अपेक्षित समय का उपयोग पोत के संचलन तथा प्रस्थान को रोकने के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(3) महानिदेशक द्वारा इस निमित्त सर्वेक्षक के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे पोत के संबंध में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय को उस पोत के अभिलेखों की प्रति को सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित कर सकेगा और ऐसी प्रति उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

अभिसमय के उपबंधों के उल्लंघन की जानकारी होना।

356भ. किसी पोत का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत सर्वेक्षक या अन्य व्यक्ति से रिपोर्ट की प्राप्ति होने पर, महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि तटीय सागर-खंड के भीतर ऐसे पोत द्वारा इस भाग के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, तो महानिदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,—

(क) ऐसे पोत को तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक ऐसे उल्लंघन के कारणों को महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समाधानप्रद रूप में दूर नहीं कर दिया जाता है; और

(ख) ऐसे पोत से धारा 436 में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति उद्गृहीत कर सकेगा:

परंतु जहां महानिदेशक यह आवश्यक समझे, वहां वह ऐसे पोत को समुद्र में जाने से निवारित करने के लिए भारतीय नौसेना या तटरक्षक दल से अनुरोध कर सकेगा और, यथास्थिति, भारतीय नौसेना या तटरक्षक दल महानिदेशक द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार कार्रवाई करेगा।

(2) किसी देश की सरकार से जिसे अभिसमय लागू होता है ऐसी जानकारी मिलने पर कि किसी पोत ने अभिसमय के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है केंद्रीय सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है तो ऐसी सरकार से अभिकथित उल्लंघनों के बारे में और ब्यौरे देने का अनुरोध कर सकेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तो वह अभिकथित उल्लंघनों का अन्वेषण करेगी और इस संबंध में समुचित उपाय करेगी।

356म. (1) केंद्रीय सरकार, अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 356त की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन पोतों के प्रचालन के लिए समुचित उपाय;

(ख) धारा 356द के अधीन अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मानक, अपेक्षाएं और उपाय;

(ग) धारा 356ध के अधीन निरीक्षण और अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और शर्तें तथा फीस जो उद्गृहीत की जा सकेगी;

(घ) धारा 356न के अधीन भारत में विदेशी पोतों और विदेशों में भारतीय पोतों के लिए कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और फीस, जो उद्गृहीत की जा सकेगी;

(ङ) धारा 356प के अधीन अपशिष्टों के संग्रहण, हथालन और निपटान की प्रक्रिया;

(च) कलुषित प्रणालियों के अभिलेख का रूप विधान, वह रीति जिसमें धारा 356फ के अधीन ऐसे अभिलेख रखे जाएंगे;

(छ) कोई अन्य विषय जिनका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।'।

3. मूल अधिनियम की धारा 436 में, क्रम संख्यांक 115छ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 436 का संशोधन।

क्रम सं०	अपराध	इस अधिनियम की वह धारा जिसमें अपराध के प्रतिनिर्देश है	शास्तियां
1	2	3	4
"115ज.	यदि किसी भारतीय पोत का स्वामी धारा 356द का पालन करने में असफल रहता है	356द	पंद्रह लाख रुपए तक का जुर्माना।
115झ.	यदि मास्टर धारा 356ध के उल्लंघन में समुद्र यात्रा के लिए अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयास करता है	356ध	तीन लाख रुपए तक का जुर्माना।
115ञ.	यदि किसी भारतीय पोत का स्वामी या कोई व्यक्ति, धारा 356प के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या किए गए उपायों का अनुपालन करने में असफल रहता है	356प	एक लाख पचास हजार रुपए तक का जुर्माना।

1	2	3	4
115ट.	यदि पोत का मास्टर धारा 356फ द्वारा यथा अपेक्षित अभिलेख को रखने में असफल रहता है	356फ	एक लाख पचास हजार रुपए तक का जुर्माना।
115ठ.	यदि पोत का मास्टर धारा 356ब की उपधारा (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है	356ब(2)	एक लाख पचास हजार रुपए तक का जुर्माना।

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 33)

[10 दिसम्बर, 2014]

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, 1988 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

वृहत् नाम का संशोधन।

2. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, वृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित वृहत् नाम रखा जाएगा, अर्थात्:— 1988 का 51

"कतिपय श्रम विधियों के अधीन कम संख्या में व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों के संबंध में विवरणी देने और रजिस्टर रखने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम"।

धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट" शब्दों के स्थान पर "रजिस्टर रखने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ङ) में, "उन्नीस" शब्द के स्थान पर "चालीस" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपेक्षित विवरणियों और रजिस्टरों को देने या रखने के लिए छूट।

"4. (1) अनुसूचित अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ही लघु स्थापन या अति लघु स्थापन के संबंध में किसी नियोजक को जिसको अधिसूचित अधिनियम लागू होता है, विवरणी प्रस्तुत करना या रजिस्टर रखना, जो उस अनुसूचित अधिनियम के अधीन दी जाने या रखे जाने के लिए अपेक्षित है, किसी नियोजक के लिए आवश्यक नहीं होगा :

परंतु यह तब जब ऐसा नियोजक कार्य स्थल पर,—

(क) ऐसी विवरणी के बदले प्ररूप 1 में वार्षिक विवरणी देता है; और

(ख) ऐसे रजिस्टरों के बदले में,--

(i) लघु स्थापनों की दशा में प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में रजिस्टर रखता है, और

(ii) अति लघु स्थापनों की दशा में प्ररूप 3 में रजिस्टर रखता है :

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक नियोजक—

(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 18 और धारा 30 के अधीन बनाए गए न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 में विहित प्ररूप में मजदूरी पर्ची और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 13क और धारा 26 के अधीन बनाए गए मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मकारों द्वारा किए गए काम की मात्रा के मापमान से संबंधित पर्चियां देना जारी रखेगा; और 1948 का 11 1936 का 4

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 और धारा 88क और बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 32क और धारा 32ख के अधीन दुर्घटनाओं से संबंधित विवरणियां फाइल करता रहेगा । 1948 का 63 1951 का 69

(2) प्ररूप 1 में वार्षिक विवरणी और प्ररूप 2 और प्ररूप 3 में रजिस्टर और उपधारा (1) में यथा उपबंधित मजदूरी पर्ची, मजदूरी बही और अन्य अभिलेख, किसी नियोजक द्वारा कंप्यूटर, कंप्यूटर फ्लापी, डिस्केट या अन्य इलैक्ट्रोनिक मीडिया और ऐसी विवरणियों, रजिस्टरों, बहियों और अभिलेखों के प्रिंट आउट में रखा जा सकेगा :

परंतु कंप्यूटर, कंप्यूटर फ्लापी, डिस्केट या अन्य इलैक्ट्रोनिक रूप की दशा में ऐसी विवरणियां, रजिस्टर, बहियों और अभिलेख या उसमें किसी भाग का प्रिंट आउट मांग किए जाने पर निरीक्षक को उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

(3) प्ररूप 1 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नियोजक या कोई व्यक्ति इसे या तो मुद्रित रूप में या इलैक्ट्रोनिक मेल के माध्यम से अनुसूचित अधिनियमों के अधीन विहित निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा यदि निरीक्षक या प्राधिकारी के पास ऐसी इलैक्ट्रोनिक मेल प्राप्त करने की सुविधा हो ।

(4) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूचित अधिनियम के अन्य सभी उपबंध जिनमें विशिष्टतः उस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा रजिस्टरों का निरीक्षण और प्रस्तुत उनकी प्रतियां सम्मिलित हैं, अधिनियम के अधीन दी जाने या रखे जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों और रजिस्टरों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अनुसूचित अधिनियम के अधीन विवरणियों और रजिस्टरों को लागू होते हैं ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्थापन के संबंध में जहां कोई नियोजक जिसको कोई अनुसूचित अधिनियम लागू होता है, उपधारा (1) के परंतुक में यथा उपबंधित विवरणी देता है या रजिस्टर रखता है वहां उस अनुसूचित अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात उस अधिसूचित अधिनियम के अधीन कोई विवरणी देने या रजिस्टर रखने में उसकी असफलता के लिए उसे किसी शास्ति का दायी नहीं बनाएगी।"।

6. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात् :— पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूचियों का प्रतिस्थापन।

"पहली अनुसूची

[धारा 2(घ) देखिए]

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4)
2. साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम, 1942 (1942 का 18)
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)
4. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)
5. बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69)
6. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45)
7. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)
8. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21)
9. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का 32)
10. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)
11. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11)
12. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)
13. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)
14. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (1986 का 54)
15. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61)
16. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)

दूसरी अनुसूची

[धारा 2(ग) देखिए]

प्ररूप 1

[धारा 4(1) देखिए]

वार्षिक विवरणी

(अगले वर्ष के 30 अप्रैल से पूर्व क्रमिक अनुसूचित अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट निरीक्षक या प्राधिकारी को दिए जाने के लिए)

(31 मार्च,.........को समाप्त)

1. स्थापन का नाम, उसका डाक का पता, टेलीफोन नं०, फैक्स नं०, ई-मेल पता और अवस्थान...
....

2. नियोजक का नाम और डाक का पता ....
....

3. मुख्य नियोजक का नाम और पता, यदि नियोजक कोई ठेकेदार है ....
....

4. पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी प्रबंधक का नाम ....
   (i) नियोजक द्वारा चलाए गए कारबार, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय का नाम ....
   (ii) कारबार, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय के प्रारंभ की तारीख ....

5. ईएसआई/ईपीएफ/कल्याण निधि/पैन नं० के अंतर्गत नियोजक का नं०, यदि कोई हो ......

6. उस वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित अधिकतम कर्मकारों की संख्या, जिसको यह विवरणी संबंधित है :

प्रवर्ग	अत्यन्त कुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल
पुरुष				
महिला				
बालक (जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है)				
कुल				

7. वर्ष के दौरान नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या :

8. वर्ष के दौरान किए गए श्रमिक कार्य दिनों की कुल संख्या :

9. वर्ष के दौरान कर्मकारों की संख्या :
   (क) छंटनी किए गए :
   (ख) त्यागपत्र देने वाले :
   (ग) पर्यवसित :

10. संदत्त छंटनी प्रतिकर और सेवांत प्रसुविधाएं (प्रत्येक कर्मकार के संबंध में पूर्ण रूप से सूचनाएं प्रदान करें)...

11. वर्ष के दौरान निम्नलिखित कारण हुई श्रमिक दिनों की हानि—

(क) हड़ताल :

(ख) तालाबंदी :

(ग) घातक दुर्घटनाएं :

(घ) अघातक दुर्घटनाएं :

12. हड़ताल या तालाबंदी के कारण :

13. संदत्त कुल मजदूरी (मजदूरी के साथ अतिकाल कार्य अलग से दर्शाया जाए):

14. की गई मजदूरी से कटौतियों की कुल रकम :

15. वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या :

	कारखानों/डाक सुरक्षा निरीक्षक को रिपोर्ट	कर्मचारी राज्य बीमा निगम को रिपोर्ट	कर्मकार प्रतिकर आयुक्त को रिपोर्ट	अन्य
घातक				
अघातक				

16. वर्ष ....के दौरान कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन संदत्त प्रतिकर—

(i) घातक दुर्घटनाएं :

(ii) अघातक दुर्घटनाएं :

17. बोनस*

(क) बोनस के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या :

(ख) घोषित बोनस का प्रतिशत और कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बोनस संदत्त किया गया :

(ग) बोनस के रूप में संदेय रकम :

(घ) वास्तविक रूप में संदत्त बोनस की कुल रकम और संदाय की तारीख :

स्थान :　　प्रबंधक/नियोजक के हस्ताक्षर

तारीख :　　और स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम

उपाबंध 1*

ठेकेदार का नाम और पता	ठेके की अवधि .....से..... तक	काम का स्वरूप	प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या	कार्य दिवसों की संख्या	किए गए कार्य के श्रमिक दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6

उपाबंध 2

(मद सं॰ 6 देखिए)

क्रम संख्या	कर्मचारी / कर्मकार का नाम	नियोजन की तारीख	स्थायी पता
1	2	3	4

* यदि लागू न हो तो काट दें ।

प्ररूप 2

[धारा 4(1) देखिए]

नियोजित व्यक्ति-सह-नियोजन कार्ड रजिस्टर

स्थापन का नाम, पता, टेलीफोन नं०, फैक्स नं० और ई-मेल का पता........................
....

काम का अवस्थान..

मुख्य नियोजक का नाम और पता, यदि नियोजक कोई ठेकेदार है.........................
....

1. कर्मकार/कर्मचारी का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. पताः
   (i) वर्तमान...
   (ii) स्थायी..
4. नामनिर्देशिती/निकट संबंधी का नाम और पता..
5. पदनाम/प्रवर्ग...
6. जन्म की तारीख/आयु...
7. शैक्षिक अर्हताएं...
8. प्रवेश की तारीख..
9. कर्मकार की पहचान सं०/ईएसआई/ईपीएफ/एल०डब्ल्यू०एफ० नं०................................
10. यदि नियोजित व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु का है, तो क्या आयु का प्रमाणपत्र रखा जाता है...
11. लिंग: पुरुष या स्त्री..
12 राष्ट्रीयता ....
13. कारण सहित नियोजन के पर्यवसान की तारीख..
14. कर्मकार/कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान...
15. नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर...

ठेकेदार/मुख्य नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।

प्ररूप 3

[धारा 4(1) देखिए]

मस्टर रोल-सह-मजदूरी रजिस्टर

स्थापन का नाम और पता..

काम का अवस्थान...

नियोजक का नाम और पता...

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं०	कर्मकार का नाम (पहचान सं०, यदि कोई है) और पिता/पति का नाम	पदनाम/प्रवर्ग/किए गए कार्य का स्वरूप	उपस्थिति (महीने की तारीखें 1, 2,.......31 तक)	शोध्य छुट्टी (अर्जित छुट्टी और अन्य प्रकार की स्वीकार्य छुट्टी)	ली गई छुट्टी (विनिर्दिष्ट करें)	मजदूरी की दर/वेतन या मात्रानुपाती दर/मजदूरी प्रति इकाई	अन्य भत्ते, उदाहरणार्थ (क) मंहगाई भत्ता (ख) मकान किराया भत्ता (ग) रात्रि भत्ता (घ) विस्थापन भत्ता (ङ) बाह्य यात्रा भत्ता
							(क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

9	10	11	12	13	14	15	16
मास में घंटों की संख्या में किया गया अतिकाल कार्य	अतिकाल कार्य की मजदूरी की रकम	अग्रिम रकम और अग्रिम का प्रयोजन	कुल/सकल उपार्जन	कटौतियां, उदाहरणार्थ (क) भविष्य निधि (ख) अग्रिम (ग) कर्मचारी राज्य बीमा (घ) अन्य रकम	संदेय शुद्ध रकम (12-13)	हस्ताक्षर/मजदूरियों की पावती/स्तंभ सं० 14 के लिए भत्ते	टिप्पणियां
				(क) (ख) (ग) (घ)			

मुख्य नियोजक द्वारा प्रमाणपत्र यदि नियोजक कोई ठेकेदार है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ठेकेदार ने इस रजिस्टर में यथादर्शित उसके द्वारा नियोजित कर्मकारों को मजदूरी संदत्त कर दी है ।

मुख्य नियोजक/मुख्य नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।"।

योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 37)

[18 दिसम्बर, 2014]

वास्तुकला अध्ययनों में, जिनमें मानव उपनिवेशों की योजना भी है, शिक्षा और अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए योजना और वास्तुकला विद्यालयों को स्थापित करने और उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रति निर्देश है।

कतिपय विद्यालयों की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषणा।

2. अनुसूची में वर्णित विद्यालयों के उद्देश्य इस प्रकार के हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं, अत: यह घोषित किया जाता है कि ऐसा प्रत्येक विद्यालय राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

परिभाषाएं। 3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''बोर्ड'' से, किसी विद्यालय के संबंध में, उसका शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''तत्समान विद्यालय'' से, अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित किसी विद्यालय के संबंध में, अनुसूची के स्तंभ (5) में उक्त विद्यालय के सामने यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय अभिप्रेत है;

(घ) ''परिषद्'' से धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ) ''निदेशक'' से किसी विद्यालय के संबंध में, उसका निदेशक अभिप्रेत है;

(च) ''विद्यमान विद्यालय'' से अनुसूची के स्तंभ (3) के अधीन वर्णित विद्यालय अभिप्रेत है;

(छ) ''सदस्य'' से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(ज) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' पद का तदनुसार उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित अर्थ लगाया जाएगा;

(झ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) ''कुल-सचिव'' से, किसी विद्यालय के संबंध में, उसका कुल-सचिव अभिप्रेत है;

(ट) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ठ) ''विद्यालय'' से अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय और इस अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसे अन्य विद्यालय अभिप्रेत हैं;

(ड) ''सिनेट'' से, किसी विद्यालय के संबंध में, उसकी सिनेट अभिप्रेत है;

(ढ) ''सोसाइटी'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या संबंधित राज्य सरकारों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित सोसाइटियों में से कोई सोसाइटी अभिप्रेत है; 1860 का 21

(ण) ''परिनियम'' और ''अध्यादेश'' से, किसी विद्यालय के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उस विद्यालय के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

विद्यालय

विद्यालयों की स्थापना और निगमन। 4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विद्यालय निगमित निकाय होंगे, जिनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन करने, उसे धारण करने तथा उसका व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वे अनुसूची के स्तंभ (5) में वर्णित अपने-अपने नामों से वाद लाएंगे या उन पर वाद लाया जाएगा।

विद्यालय के उद्देश्य। 5. प्रत्येक विद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:—

(i) योजना और वास्तुकला विद्यालय की स्थापना और विकास का समर्थन करना;

(ii) वास्तुकला, योजना और सहबद्ध क्षेत्रों में सार्वभौमिक नेतृत्व प्रदान करना।

6. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,— विद्यालयों के निगमन का प्रभाव।

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी विद्यमान विद्यालय के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्समान विद्यालय के प्रति निर्देश है;

(ख) प्रत्येक विद्यमान विद्यालय की या उससे संबद्ध सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां अनुसूची के स्तंभ (5) के अधीन वर्णित तत्समान विद्यालय में निहित हो जाएंगी;

(ग) प्रत्येक विद्यमान विद्यालय के सभी अधिकार, ऋण तथा अन्य दायित्व तत्समान विद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व हो जाएंगे;

(घ) प्रत्येक विद्यमान विद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा तत्समान विद्यालय में उसी सेवाधृति सहित, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसे कि वह उस दशा में धारण करता यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और तब तक ऐसा पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसी सेवाधृति, पारिश्रमिक तथा निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसके नियोजन को विद्यालय द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया हो तो विद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर उसे प्रतिकर देकर समाप्त किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में किसी विद्यमान विद्यालय के निदेशक, कुल-सचिव और अन्य अधिकारियों के प्रति, किन्हीं भी शब्द रूपों द्वारा, किए गए किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह तत्समान विद्यालय के निदेशक, कुल-सचिव और अन्य अधिकारियों के प्रति निर्देश है;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, प्रत्येक विद्यमान विद्यालय में कोई शिक्षण या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रारंभ पर तत्समान विद्यालय में, उस विद्यालय से, जिससे ऐसा व्यक्ति स्थानांतरित हुआ है, अध्ययन के उसी स्तर पर स्थानांतरित और रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा;

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी विद्यमान विद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां तत्समान विद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहेंगी या संस्थित की जाएंगी।

7. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विद्यालय उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा, जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं, अर्थात्:— विद्यालय की शक्तियां और कृत्य।

(क) वास्तुकला, योजना, डिजाइन और संबद्ध क्रियाकलापों में ऐसी रीति में, जो विद्यालय उचित समझे, जिसमें किसी अन्य विद्यालय, शिक्षा संस्था, अनुसंधान संगठन या निगमित निकाय के साथ सहयोग या सहयोजन भी है, अनुसंधान और नए खोज कार्यों का आयोजन और जिम्मा लेना;

(ख) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य डिग्रियां प्रदान करना;

(ग) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां स्थापित करना और पुरस्कार, मानद डिग्रियां या अन्य शैक्षणिक उपाधियां या अभिधान प्रदान करना;

(घ) फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(ङ) छात्रों के निवास के लिए हालों और छात्रावासों की स्थापना करना, उनका अनुरक्षण और प्रबंध करना;

(च) विद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्था करना;

(छ) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षणिक और अन्य पदों को अधिसूचित करना और उन पदों पर, निदेशक के पद को छोड़कर नियुक्ति करना;

(ज) किसी अन्य विद्यालय या शिक्षा संस्था में कार्यरत या विद्यालय के अनुबद्ध अतिथि या अभ्यागत शिक्षकों के रूप में किसी उद्योग में महत्वपूर्ण अनुसंधान में लगे व्यक्तियों की ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए, जो विद्यालय द्वारा विनिश्चित की जाए, नियुक्ति करना;

(झ) परिनियम और अध्यादेश बनाना तथा उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करना;

(ञ) ऐसी अवसंरचना की स्थापना और अनुरक्षण करना जो आवश्यक हो;

(ट) विद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में विद्यालय से संबंद्ध या उसमें निहित किसी संपत्ति के विषय में, ऐसी रीति में, जो विद्यालय उचित समझे, संव्यवहार करना;

(ठ) विद्यालय की निधि का प्रबंध करना तथा सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त करना तथा, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दाताओं या अंतरकों से जंगम या स्थावर संपत्तियों की वसीयतें, संदान और अंतरण प्राप्त करना;

(ड) विश्व के किसी भाग में की ऐसी शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनके पूर्णतः या भागतः वही उद्देश्य हैं जो उस विद्यालय के हैं, शिक्षकों, छात्रों और विद्वानों की अदला-बदली करके और साधारणतया ऐसी रीति में, जो उनके समान उद्देश्यों में सहायक हो, ऐसे निबंधनों पर, जो सिनेट द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, सहयोग करना;

(ढ) विद्यालय के समान उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए उससे संबंधित क्षेत्रों या शाखाओं से परामर्श लेना; और

(ण) ऐसी सभी बातें करना जो विद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, विद्यालय केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी स्थावर संपत्ति का किसी भी रीति में व्ययन नहीं करेगा।

विद्यालय का सभी मूल्यवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना।

8. (1) प्रत्येक विद्यालय स्त्री या पुरुष सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे, वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग, धर्म, निर्योग्यता, अधिवास, नस्ल, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के हों, खुला रहेगा।

(2) किसी भी विद्यालय द्वारा किसी संपत्ति की ऐसी कोई वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें परिषद् की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्य के विपरीत शर्तें या बाध्यताएं अन्तर्वलित हैं।

विद्यालय में अध्यापन।

9. प्रत्येक विद्यालय में सभी अध्यापन कार्य इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विद्यालय द्वारा या उसके नाम से किए जाएंगे।

10. प्रत्येक विद्यालय एक अलाभार्थ विधिक इकाई होगा और ऐसे विद्यालय के राजस्व के किसी भी अधिशेष भाग का, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन उसकी संक्रियाओं के संबंध में सभी व्ययों को चुकाने के पश्चात्, उस विद्यालय की अभिवृद्धि और विकास या उसमें अनुसंधान करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए विनिधान नहीं किया जाएगा। विद्यालय का एक अलाभार्थ सुभिन्न विधिक इकाई होना।

11. (1) भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक विद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। कुलाध्यक्ष।

(2) कुलाध्यक्ष किसी विद्यालय के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसके कार्यकलापों की जांच करने के लिए और उन पर रिपोर्ट देने के लिए, एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसी रीति से नियुक्त कर सकेगा, जैसे कुलाध्यक्ष निदेश दे।

(3) ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्रवाई और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह रिपोर्ट में वर्णित किन्हीं विषयों की बाबत आवश्यक समझे और विद्यालय ऐसे निदेशों का युक्तियुक्त समय के भीतर पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

अध्याय 3
विद्यालय के प्राधिकारी

12. किसी विद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:– विद्यालय के प्राधिकारी।

(क) शासक बोर्ड;

(ख) सिनेट; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाए।

13. (1) प्रत्येक विद्यालय का शासक बोर्ड उस विद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। शासक बोर्ड।

(2) प्रत्येक विद्यालय का शासक बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के एक पैनल में से की जाएगी, जो कि एक विख्यात वास्तुविद् या योजनाकार होगा;

(ख) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का, जिसमें विद्यालय स्थित है, तकनीकी शिक्षा या उच्चतर शिक्षा का प्रधान सचिव या सचिव;

(ग) नगर योजनाकार संस्थान, भारत से एक प्रतिनिधि, जिसे नगर योजनाकार संस्थान, भारत के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) वास्तुकला परिषद् से एक प्रतिनिधि, जिसे वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से एक प्रतिनिधि, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि;

(छ) वास्तुकला या भू-दृश्य वास्तुकला या नगरीय डिजाइन के व्यवसायों से एक विशेषज्ञ तथा नगरीय और प्रादेशिक योजना से एक विशेषज्ञ, जिसे योजना और वास्तुकला विद्यालय परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) सिनेट से दो प्रतिनिधि, योजना विभाग और वास्तुकला विभाग, दोनों से चक्रानुक्रम द्वारा, जयेष्ठता क्रम में, दो वर्ष की अवधि के लिए एक-एक प्रतिनिधि;

(झ) दो व्यक्ति, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा और वित्त से संबद्ध व्यक्तियों या उनके नामनिर्देशितियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन;

(ञ) एक व्यक्ति, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ट) विद्यालय का निदेशक, सदस्य, पदेन;

(ठ) विद्यालय का कुल-सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनके बीच रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते।

14. इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष या किन्हीं अन्य सदस्यों की पदावधि, उसके नामनिर्देशन की तारीख से, पांच वर्ष की होगी;

(ख) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किए रहता है;

(ग) धारा 13 के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष या उसके पद धारण करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की होगी;

(घ) किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति धारा 13 के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी;

(ङ) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उस सदस्य के, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, शेष कार्यकाल तक के लिए बनी रहेगी; और

(च) बोर्ड के सदस्य बोर्ड की या विद्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेने के लिए विद्यालय से ऐसे भत्तों के, यदि कोई हों, हकदार होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, किन्तु धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य इस खंड के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

15. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विद्यालय का बोर्ड, विद्यालय के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और उसे विद्यालय की वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(2) प्रत्येक विद्यालय के बोर्ड को, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(क) विद्यालय के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों का विनिश्चय करना;

(ख) विभागों, संकायों अथवा अध्ययन विद्यालयों की स्थापना करना तथा विद्यालय में अध्ययन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम आरंभ करना;

(ग) ऐसे विद्यालय के प्रशासन, प्रबंधन और संक्रियाओं को शासित करने संबंधी परिनियम बनाना;

(घ) विद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक अनुभाग में व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(ङ) अध्यादेशों पर विचार करना और उन्हें उपांतरित या रद्द करना;

(च) विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, संपरीक्षित लेखाओं और अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलनों पर विचार करना तथा ऐसे संकल्प पारित करना जो वह उचित समझे और उन्हें अपनी विकास योजनाओं के विवरण के साथ परिषद् को प्रस्तुत करना;

(छ) ऐसे विद्यालय में अध्यापन और अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए, परिनियमों द्वारा, अर्हताओं, मापदंडों और प्रक्रियाओं का उपबंध करना;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(3) बोर्ड को उतनी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(4) बोर्ड, निदेशक के कार्यपालन का, विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में उसके नेतृत्व के प्रति विनिर्दिष्ट निर्देश करते हुए, वार्षिक पुनर्विलोकन कराएगा।

(5) बोर्ड, शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में सिनेट और विद्यालय के, यथास्थिति, विभागों या संकायों को शैक्षणिक मामलों में स्वायतत्ता प्रदान करने का यथासंभव प्रयास करेगा।

(6) जहां निदेशक या अध्यक्ष की राय में स्थिति इतनी आपातिक है कि विद्यालय के हित में तुरन्त विनिश्चय किए जाने की आवश्यकता है, वहां अध्यक्ष, निदेशक की सिफारिश पर, अपनी राय में उन आधारों को अभिलेखबद्ध करके, ऐसे आदेश जारी कर सकेगा जो आवश्यक हों :

परन्तु ऐसे आदेशों को बोर्ड की अगली बैठक में उसके अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

16. (1) प्रत्येक विद्यालय की सिनेट निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:— सिनेट।

(क) विद्यालय का निदेशक, सिनेट का अध्यक्ष, पदेन;

(ख) ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों या विख्यात वृत्तिकों में से पांच ऐसे व्यक्ति, जो विद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ग) नगर योजनाकार संस्थान, भारत का एक नामनिर्देशिती;

(घ) वास्तुकला परिषद् का एक नामनिर्देशिती;

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक नामनिर्देशिती;

(च) शैक्षणिक अनुसंधान, छात्र क्रियाकलाप, संकाय कल्याण और विद्यालय की योजना और विकास का भारसाधक संकायाध्यक्ष;

(छ) सभी विभागाध्यक्ष;

(ज) विभागाध्यक्षों से भिन्न सभी आचार्य;

(झ) विद्यालय के सह आचार्यों और सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यापन कर्मचारिवृन्द के, चक्रानुक्रम से, दो वर्ष की अवधि के लिए, चार सदस्य:

परन्तु विद्यालय का कोई कर्मचारी खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) सिनेट के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

17. (1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यालय की सिनेट विद्यालय की प्रधान शिक्षण निकाय होगी और विद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी और वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं। सिनेट के कृत्य।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सिनेट को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(क) विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए मानदंड और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करना;

(ख) बोर्ड को अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करने की सिफारिश करना, ऐसे पदों की संख्या और उपलब्धियों का अवधारण करना और शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक पदों के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना;

(ग) बोर्ड को नए अध्ययन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सिफारिश करना;

(घ) अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक अन्तर्वस्तु बोर्ड को विनिर्दिष्ट करना और उसमें उपांतरण करना;

(ङ) शैक्षणिक कैलेंडर विनिर्दिष्ट करना और डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य शैक्षणिक उपाधियां या अभिधान दिए जाने का अनुमोदन करना;

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो परिनियमों द्वारा या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

बोर्ड का अध्यक्ष।

18. (1) अध्यक्ष साधारणतया, बोर्ड की बैठक की और विद्यालय के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं।

निदेशक।

19. (1) विद्यालय का निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं।

(2) निदेशक, विद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और बोर्ड तथा सिनेट के विनिश्चयों के क्रियान्वयन तथा विद्यालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे सौंपे जाएं अथवा बोर्ड या सिनेट अथवा अध्यादेशों द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(4) निदेशक बोर्ड को वार्षिक रिपोर्टें तथा संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगा।

कुल-सचिव।

20. (1) प्रत्येक विद्यालय का कुल-सचिव ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह विद्यालय के अभिलेखों, उसकी सामान्य मुद्रा, निधियों और विद्यालय की ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा, जो बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे।

(2) कुल-सचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों के, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) कुल-सचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

21. ऊपर वर्णित प्राधिकारियों और अधिकारियों से भिन्न प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा। अन्य प्राधिकारी और अधिकारी।

22. (1) प्रत्येक विद्यालय, इस अधिनियम के अधीन विद्यालय की स्थापना और उसके निगमन से सात वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उक्त अवधि में विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में उसके कार्यपालन का मूल्यांकन और पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। विद्यालय के कार्यपालन का पुनर्विलोकन।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति में शैक्षणिक या उद्योग जगत के माने हुए ख्यातिप्राप्त सदस्य होंगे जिन्हें ज्ञान के ऐसे क्षेत्रों से लिया जाएगा जिनकी उस विद्यालय में अध्यापन, विद्यार्जन और अनुसंधान से सुसंगति है।

(3) समिति, विद्यालय के कार्यपालन का निर्धारण करेगी और बोर्ड को परिनियमों में अधिकथित उपबंधों के अनुसार सिफारिशें करेगी।

23. विद्यालयों को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का ऐसी रीति से, संदाय करेगी, जो वह उचित समझे। केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

अध्याय 4

लेखा और संपरीक्षा

24. (1) प्रत्येक विद्यालय एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,— विद्यालय की निधि।

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी धन;

(ख) विद्यालय द्वारा प्राप्त सभी फीसें तथा अन्य प्रभार;

(ग) विद्यालय द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धन;

(घ) विद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान से उद्भूत बौद्धिक संपदा के उपयोग से या उसके द्वारा सलाहकारी या परामर्शकारी सेवाओं का उपबंध करने से प्राप्त सभी धन; और

(ङ) विद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(2) प्रत्येक विद्यालय की निधि में जमा किए गए सभी धन, ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे, जो विद्यालय वित्त समिति और शासी निकाय के अनुमोदन से विनिश्चित करे।

(3) किसी विद्यालय की निधि का उपयोग विद्यालय के व्ययों को, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग में और कृत्यों के निर्वहन में किए गए व्यय भी हैं, चुकाने के लिए किया जाएगा।

25. (1) प्रत्येक विद्यालय उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप और लेखांकन मानक में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए। लेखा और संपरीक्षा।

(2) जहां विद्यालय के आय-व्यय का विवरण और तुलनपत्र लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं है, वहां विद्यालय अपने आय-व्यय के विवरण और तुलनपत्र में निम्नलिखित का प्रकटन करेगा, अर्थात्:—

(क) लेखांकन मानकों से विचलन;

(ख) ऐसे विचलन के कारण; और

(ग) ऐसे विचलन से उद्भूत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो।

(3) प्रत्येक विद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षा दल द्वारा उपगत कोई व्यय विद्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और विद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और विद्यालय के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्येक विद्यालय के यथाप्रमाणित लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखावएगी।

पेंशन और भविष्य निधि।

26. (1) प्रत्येक विद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि और पेंशन निधि स्थापित कर सकेगा या ऐसी बीमा स्कीम का उपबंध कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां कोई ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि इस प्रकार स्थापित की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो। 1925 का 19

नियुक्तियां।

27. प्रत्येक विद्यालय के कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियां, निदेशक की नियुक्ति के सिवाय, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी,–

(क) बोर्ड द्वारा, यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के संबंध में सहायक आचार्य के पद पर की जाती है, या यदि नियुक्ति गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के संबंध में ऐसे प्रत्येक काडर में की जाती है, जिसका अधिकतम वेतनमान समूह 'क' अधिकारियों के विद्यमान ग्रेड वेतनमान से अधिक है;

(ख) किसी अन्य दशा में, निदेशक द्वारा।

परिनियम।

28. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) सम्मानिक डिग्रियां प्रदान किया जाना;

(ख) शिक्षण विभागों और अनुसंधान केन्द्रों का बनाया जाना;

(ग) विद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विद्यालय की डिग्री और डिप्लोमा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ङ) विद्यालय के अधिकारियों की पदावधि और नियुक्ति की पद्धति;

(च) विद्यालय के शिक्षकों की अर्हताएं;

(छ) विद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द का वर्गीकरण, नियुक्ति की पद्धति और सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण;

(ज) विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना;

(झ) विद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;

(ञ) हालों और छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण;

(ट) विद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें और हालों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण;

(ठ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;

(ङ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन; और

(ढ़) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में गणपूर्ति और उनके कार्य संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

29. (1) प्रत्येक विद्यालय के प्रथम परिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से विरचित किए जाएंगे और उनकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक संदन के समक्ष रखी जाएगी। परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

(2) बोर्ड, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस धारा में उपबंधित रीति में परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों के किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसके लिए अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे बोर्ड को विचारार्थ भेज सकेगा।

(4) नए परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसे अनुमति नहीं दे दी जाती है:

परन्तु केन्द्रीय सरकार कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से विद्यालय के लिए परिनियम बना सकेगी या उनमें संशोधन कर सकेगी, यदि ऐसा किया जाना एकरूपता के लिए अपेक्षित हो और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

30. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विद्यालय के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :— अध्यादेश।

(क) विद्यालय में छात्रों का प्रवेश;

(ख) विद्यालय की सभी डिग्रियों और डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में और विद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे;

(घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) विद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(ज) कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों में उपबंध किया जाना है या किया जाए।

31. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे। अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, यथाशीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा उस पर उसकी आगामी बैठक में विचार किया जाएगा।

(3) बोर्ड को ऐसे किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसे संकल्प की तारीख से ऐसा अध्यादेश, यथास्थिति, तद्नुसार उपांतरित या रद्द हो जाएगा।

माध्यस्थम् अधिकरण।

32. (1) विद्यालय और उसके किन्हीं कर्मचारियों के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद संबद्ध कर्मचारी के अनुरोध पर या विद्यालय की प्रेरणा पर ऐसे किसी माध्यस्थम् अधिकरण को, जिसमें विद्यालय द्वारा नियुक्त एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा नामिनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक हो, निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) ऐसे किसी मामले की बाबत, जिसे उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी:

परंतु अधिकरण ऐसी प्रक्रिया बनाते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा।

(5) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी।

अध्याय 5

परिषद्

विद्यालयों के लिए परिषद् की स्थापना।

33. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सभी विद्यालयों के लिए परिषद् नामक एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी।

(2) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) तकनीकी शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री, पदेन, अध्यक्ष;

(ख) भारत की संसद् के दो सदस्य (लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य), पदेन;

(ग) तकनीकी शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का भारसाधक सचिव, भारत सरकार, पदेन, उपाध्यक्ष;

(घ) प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन;

(ङ) प्रत्येक विद्यालय का निदेशक, पदेन;

(च) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पदेन;

(छ) प्रधान, वास्तुकला परिषद्, नई दिल्ली, पदेन;

(ज) प्रधान, नगर योजनाकार संस्थान, भारत, पदेन;

(झ) अध्यक्ष, भारतीय वास्तुविद् संस्थान, पदेन;

(ञ) प्रधान, भारतीय सर्वेक्षक संस्था, पदेन;

(ट) शहरी विकास और रक्षा से संबद्ध केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के दो सचिव, पदेन;

(ठ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, पदेन;

(ड) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से एक महिला होगी और एक नगरीय और प्रादेशिक योजना से होगा जिनके पास वास्तुकला या भू-दृश्य वास्तुकला या नगरीय डिजाइन की बाबत विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, पदेन;

(ढ) राज्य सरकार के, जहां विद्यालय अवस्थित हैं, तकनीकी शिक्षा से संबद्ध उस सरकार के मंत्रालयों या विभागों में से दो सचिव, पदेन;

(ण) केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबद्ध विभाग का वित्तीय सलाहकार, पदेन; और

(त) तकनीकी शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में का एक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन, सदस्य-सचिव।

(3) परिषद् का एक सचिवालय होगा, जिसमें परिनियमों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदधारी होंगे।

(4) परिषद्, अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में परिषद् की सहायता करने के लिए योजना और वास्तुकला विद्यालय परिषद् की एक स्थायी समिति का गठन कर सकेगी।

परिषद् के सदस्यों की पदावधि उनके बीच रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते।

34. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, परिषद् के किसी पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य की पदावधि, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किए रहता है।

(3) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह उस सदन का, जिसने उसे निर्वाचित किया है, सदस्य नहीं रहता है, समाप्त हो जाएगी।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए परिषद् के किसी नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य के, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, शेष कार्यकाल तक के लिए बनी रहेगी।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् का कोई पदावरोही सदस्य, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

(6) परिषद् के सदस्य, परिषद् या उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं।

परिषद् के कृत्य।

35. (1) परिषद् का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह सभी विद्यालयों के क्रियाकलापों का समन्वय करें।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) पाठ्यक्रमों की अवधि, विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों और अन्य शैक्षणिक उपाधियों, प्रवेश के मानकों और अन्य शैक्षणिक विषयों से संबंधित नीतिगत विषयों पर सलाह देना;

(ख) केंद्रीय सरकार को नए योजना और वास्तुकला विद्यालयों की स्थापना किए जाने संबंधी प्रस्तावों की सिफारिश करना;

(ग) विद्यालयों के सामान्य हित के ऐसे विषयों पर, जो किसी विद्यालय द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं, विचार-विमर्श करना;

(घ) कर्मचारियों के काडर, उनकी भर्ती की पद्धतियों और सेवा-शर्तों के, छात्रवृत्तियां और निःशुल्क वृत्तियां संस्थित करने के, फीस के उद्ग्रहण तथा सामान्य हित के अन्य विषयों के संबंध में नीति अधिकथित करना;

(ङ) प्रत्येक विद्यालय की विकास योजनाओं की परीक्षा करना और उनमें से उनका अनुमोदन करना जो आवश्यक समझी जाएं और ऐसी अनुमोदित योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं को भी मोटे तौर पर उपदर्शित करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा पालन किए जाने वाले किसी कृत्य की बाबत उसे सलाह, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, देना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु इस धारा की कोई बात, किसी विद्यालय के बोर्ड या सिनेट या अन्य प्राधिकारियों में निहित शक्तियों और कृत्यों को अल्पीकृत नहीं करेगी।

परिषद् का अध्यक्ष।

36. (1) परिषद् का अध्यक्ष, सामान्यतया, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु उसकी अनुपस्थिति में, परिषद् का उपाध्यक्ष, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए।

(3) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(4) परिषद् का प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिवेशन होगा और अपने अधिवेशनों में वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए।

इस अध्याय के विषयों की बाबत नियम बनाने की शक्ति।

37. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन भविष्य निधि और पेंशन निधि या बीमा स्कीम का उपबंध करने की रीति और शर्तें;

(ख) धारा 34 की उपधारा (6) के अधीन परिषद् या उसकी समितियों के अधिवेशनों में भाग लेने हेतु सदस्यों के लिए यात्रा और अन्य भत्ते;

(ग) धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन परिषद् के अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

रिक्तियों आदि से कार्रवाइयों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

38. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन स्थापित परिषद् अथवा किसी विद्यालय या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य निकाय की कोई कार्रवाई केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं डालती है।

केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराई जाने वाली विवरणियां और सूचना।

39. प्रत्येक विद्यालय, केन्द्रीय सरकार को, अपनी नीतियों या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना देगा, जिसकी केन्द्रीय सरकार, संसद् में रिपोर्ट करने या नीति बनाने के प्रयोजन के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

40. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

विद्यालय का, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन लोक प्राधिकरण होना।

2005 का 22 41. प्रत्येक विद्यालय को, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई लोक प्राधिकरण हो।

संक्रमणकालीन उपबंध।

42. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रत्येक विद्यालय का शासक बोर्ड उसी रूप में तब तक ऐसे कार्य करता रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उस विद्यालय के लिए एक नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर, ऐसे गठन के पूर्व पद धारण करने वाले बोर्ड के सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व प्रत्येक विद्यालय के संबंध में गठित प्रत्येक विद्या परिषद् को तब तक इस अधिनियम के अधीन गठित सिनेट समझा जाएगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उस विद्यालय के लिए सिनेट का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए सिनेट के गठन पर ऐसे गठन के पूर्व पद धारण करने वाले विद्या परिषद् के सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रत्येक विद्यालय का शासक बोर्ड, वित्त समिति, विद्या परिषद्, कार्यकारी परिषद्, भवन और संकर्म समिति और ऐसी अन्य समितियां उस रूप में तब तक ऐसे कार्य करती रहेंगी जब तक इस अधिनियम के अधीन विद्यालय के लिए नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर ऐसे गठन के पूर्व पद धारण करने वाले शासक बोर्ड, वित्त समिति, विद्या परिषद्, भवन और संकर्म समिति और ऐसी अन्य समितियों के सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे;

(घ) ऐसे किसी छात्र को, जिसने शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 में उसके पश्चात् विद्यमान विद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश लिया है या शैक्षणिक वर्ष 2011-2012 में या उसके पश्चात् पाठ्यक्रम पूरा किया है, धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजन के लिए केवल तभी भोपाल और विजयवाड़ा स्थित विद्यमान विद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने वाला समझा जाएगा यदि ऐसे छात्र को पहले से उसी पाठ्यक्रम के लिए डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं किया गया है।

अनुसूची

धारा 3(ट) और धारा 4 देखिए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क्रम सं०	राज्य का नाम	विद्यमान विद्यालय का नाम	अवस्थिति	इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित विद्यालय का नाम
1.	दिल्ली	योजना और वास्तुकला विद्यालय, जी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	नई दिल्ली	योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
2.	मध्य प्रदेश	योजना और वास्तुकला विद्यालय, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	भोपाल	योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
3.	आंध्र प्रदेश	योजना और वास्तुकला विद्यालय, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है।	विजयवाड़ा	योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 39)

[26 दिसम्बर, 2014]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम ।

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, "31 दिसंबर, 2014 तक अतिरिक्त अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे । वृहत् नाम का संशोधन । 2011 का 20

3. मूल अधिनियम में, प्रस्तावना के अंतिम पैरा में, "31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के लिए" अंक और शब्द रखे जाएंगे । प्रस्तावना का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के आरंभिक भाग में, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2014 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अधिनियम 31 दिसंबर, 2017 को प्रवर्तन में नहीं रहेगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 1 का संशोधन ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ग) में, "8 फरवरी, 2007 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 जून, 2014 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (ii) में, "8 फरवरी, 2007 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 जून, 2014 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, "31 दिसंबर, 2014 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (4) में, "31 दिसंबर, 2014 के पूर्व किसी भी समय" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 के पूर्व किसी भी समय" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 40)

[31 दिसम्बर, 2014]

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए और उनके स्थानान्तरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "उच्च न्यायालय" से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी बाबत आयोग द्वारा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ;

(घ) "सदस्य" से आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका चेयरपर्सन भी है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ।

आयोग का मुख्यालय ।

3. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

रिक्तियों को भरने के लिए आयोग को निर्देश।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उच्चतम न्यायालय में और किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पदों में विद्यमान रिक्तियों के बारे में आयोग को उन रिक्तियों को भरने के लिए अपनी सिफारिशें करने हेतु संसूचित करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की पदावधि पूरी होने के कारण कोई रिक्ति होने की तारीख से छह मास पूर्व आयोग को, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपनी सिफारिशें करने हेतु निर्देश करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की मृत्यु होने या उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण कोई रिक्ति होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आयोग को, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपनी सिफारिशें करने हेतु निर्देश करेगी ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के चयन की प्रक्रिया ।

5. (1) आयोग, उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश की भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में, यदि उसे पद धारण किए जाने के उपयुक्त माना जाता है, नियुक्ति की सिफारिश करेगा :

परंतु आयोग का ऐसा कोई सदस्य, जिसके नाम की सिफारिश के लिए विचार किया जा रहा है, उस बैठक में भाग नहीं लेगा ।

(2) आयोग, योग्यता, गुणता और उपयुक्तता के ऐसे किन्हीं अन्य मानदंडों के आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उन व्यक्तियों में से, जो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र हैं, उस रूप में उनकी नियुक्ति के लिए उनके नामों की सिफारिश करेगा :

परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय, ज्येष्ठता के अतिरिक्त, उस न्यायाधीश की योग्यता और गुणता पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि आयोग के कोई दो सदस्य ऐसी सिफारिश के लिए सहमत नहीं हैं तो आयोग ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं करेगा ।

(3) आयोग, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के चयन और नियुक्ति के लिए, विनियमों द्वारा, ऐसी अन्य प्रक्रिया और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के चयन की प्रक्रिया ।

6. (1) आयोग, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की परस्पर ज्येष्ठता और योग्यता, गुणता तथा उपयुक्तता के ऐसे किन्हीं अन्य मानदंडों के आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सिफारिश करेगा ।

(2) आयोग, किसी व्यक्ति की उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने के प्रयोजनार्थ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से नामनिर्देशन की ईप्सा करेगा ।

(3) आयोग, योग्यता, गुणता और उपयुक्तता के ऐसे किन्हीं अन्य मानदंडों के आधार पर भी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उन व्यक्तियों में से, जो संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (2) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र हैं, उनको उस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उनके नाम नामनिर्दिष्ट करेगा और उन नामों को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को उसके विचारों के लिए अग्रेषित करेगा ।

(4) संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उपधारा (2) के अधीन कोई नामनिर्देशन करने या उपधारा (3) के अधीन अपने विचार प्रकट किए जाने के पूर्व उस उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से और उस उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों और प्रख्यात अधिवक्ताओं से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, परामर्श करेगा ।

(5) आयोग, उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन विचार और नामनिर्देशन प्राप्त करने के पश्चात्, उस व्यक्ति की, जिसे योग्यता, गुणता और उपयुक्तता के किन्हीं अन्य मानदंडों के आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपयुक्त पाया जाता है, नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकेगा ।

(6) यदि आयोग के कोई दो सदस्य ऐसी सिफारिश के लिए सहमत नहीं हैं तो आयोग इस धारा के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं करेगा ।

(7) आयोग, ऐसी सिफारिश करने के पूर्व, संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य मंत्री के विचार, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लिखित में प्राप्त करेगा ।

(8) आयोग, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के चयन और नियुक्ति के लिए, विनियमों द्वारा, ऐसी अन्य प्रक्रिया और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो आवश्यक समझी जाएं ।

राष्ट्रपति की पुनर्विचार की अपेक्षा करने की शक्ति ।

7. राष्ट्रपति, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा :

परंतु राष्ट्रपति, यदि आवश्यक समझे, आयोग से उसके द्वारा की गई सिफारिश पर, साधारणतया या अन्यथा, पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा :

परंतु यह और कि यदि आयोग, धारा 5 या धारा 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पुनर्विचार करने के पश्चात् कोई सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति तदनुसार नियुक्ति करेगा ।

आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से, इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन के लिए उतने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित किए जाएं ।

(3) भारत सरकार के न्याय विभाग का सचिव आयोग का संयोजक होगा ।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया ।

9. आयोग, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानान्तरण किए जाने की सिफारिश करेगा और इस प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा ऐसे स्थानान्तरण की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ।

आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

10. (1) आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन की प्रक्रिया, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने की शक्ति होगी ।

(2) आयोग ऐसे समय और स्थान पर बैठकें करेगा, जो चेयरपर्सन निदेश दे और वह अपनी बैठकों के कारबार के संव्यवहार के बारे में (जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है) ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुपालन करेगा, जो वह विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

11. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) संविधान के अनुच्छेद 124क के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट विख्यात व्यक्तियों को संदेय फीस और भत्ते ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना होगा ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

12. (1) आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की बाबत उपयुक्तता का मानदंड ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के चयन और उसकी नियुक्ति के लिए अन्य प्रक्रिया और शर्तें ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की बाबत उपयुक्तता का मानदंड ;

(घ) ऐसे अन्य न्यायाधीश और प्रख्यात अधिवक्ता, जिनसे धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा परामर्श किया जा सकेगा ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विचार प्राप्त करने की रीति ;

(च) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के चयन और उसकी नियुक्ति के लिए अन्य प्रक्रिया और शर्तें ;

(छ) धारा 9 के अधीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानान्तरण किए जाने की प्रक्रिया;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(झ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के बारे में, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया-नियम ;

(ञ) कोई अन्य विषय, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए अथवा जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

13. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

———

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 1)

[10 मार्च, 2015]

नागरिकता अधिनियम, 1955
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 6 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1955 का 57 2. नागरिकता अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन।

'(ङङ) "भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 7क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,— धारा 5 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (च) में, "एक वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है" शब्दों के स्थान पर, "बारह मास पूर्व से भारत में मामूली तौर से निवासी है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (छ) में,—

(अ) "भारत के विदेशी नागरिक" शब्दों के स्थान पर, "भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "एक वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है" शब्दों के स्थान पर, "बारह मास पूर्व से भारत में मामूली तौर से निवासी है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं, परिस्थितियों को अभिलिखित करने के पश्चात् उपधारा (1) के खंड (च) और खंड (छ) तथा स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में विनिर्दिष्ट बारह मास की अवधि को अधिकतम तीस दिन के लिए, जो विभिन्न खंडों में हो सकेगी, शिथिल कर सकेगी।"।

धारा 7क, धारा 7ख, धारा 7ग और धारा 7घ के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7क, धारा 7ख, धारा 7ग और धारा 7घ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक का रजिस्ट्रीकरण।

"7क. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर,—

(क) किसी वय प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य के ऐसे व्यक्ति को,—

(i) जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु संविधान के प्रारंभ के समय या उसके पश्चात् किसी समय भारत का नागरिक था; या

(ii) जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होने के लिए पात्र था; या

(iii) जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु ऐसे राज्यक्षेत्र से संबद्ध था, जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् भारत का भाग बन गया था; या

(iv) जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री, दौहित्र/दौहित्री या प्रपौत्र/प्रपौत्री, प्रदौहित्र/प्रदौहित्री है; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो खंड (क) में वर्णित किसी व्यक्ति का अप्राप्तवय पुत्र/पुत्री है; या

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अप्राप्तवय पुत्र/पुत्री है और जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है; या

(घ) भारत के किसी नागरिक के विदेशी मूल के पति या पत्नी को या धारा 7क के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के विदेशी मूल के पति या पत्नी को और जिसका विवाह इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के ठीक पहले रजिस्ट्रीकृत हो गया है और दो वर्ष से अन्यून की निरंतर अवधि तक बना हुआ है,

भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी:

परंतु भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की पात्रता के लिए ऐसे पति या पत्नी को भारत में किसी सक्षम प्राधिकारी से पूर्विक सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा:

परंतु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके माता-पिता या पितामह-पितामही या प्रपितामह-प्रपितामही पाकिस्तान, बंग्लादेश या ऐसे अन्य देश का, जिसको केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नागरिक है या रहा था, इस उपधारा के अधीन भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिससे भारतीय मूल के विद्यमान कार्ड धारक व्यक्तियों को भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों से इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 26011/4/98 एफ॰आई॰ तारीख 19 अगस्त, 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत हैं।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं, लिखित में परिस्थितियां अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकेगी।

भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को अधिकार प्रदान किया जाना।

7ख. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत का कार्ड धारक कोई विदेशी नागरिक, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारों से भिन्न, ऐसे अधिकारों का, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, हकदार होगा।

(2) भारत का कार्डधारक कोई विदेशी नागरिक,—

(क) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन;

(ख) राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 58 के अधीन;

(ग) उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 66 के अधीन;

(घ) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन;

(ङ) उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन;

(च) मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अधीन; 1950 का 43

(छ) यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य होने के लिए पात्रता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 और धारा 4 के अधीन; 1951 का 43

(ज) किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए पात्रता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5, धारा 5क और धारा 6 के अधीन; 1951 का 43

(झ) संघ या किसी राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए, सिवाय ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

भारत के नागरिक को प्रदान किए गए अधिकारों का हकदार नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

भारत के विदेशी नागरिक के कार्ड का त्यजन।

7ग. (1) यदि वय प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का भारत का कार्ड धारक कोई विदेशी नागरिक विहित रीति में भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में उसे रजिस्टर किए जाने संबंधी कार्ड का त्यजन करते हुए कोई घोषणा करता है तो वह घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर ऐसा व्यक्ति भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक नहीं रह जाता है वहां उस व्यक्ति का विदेशी मूल का पति या पत्नी, जिसने धारा 7क की उपधारा (1)

के खंड (घ) के अधीन भारत के विदेशी नागरिक होने का कार्ड अभिप्राप्त किया है और उस व्यक्ति का भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अप्राप्तवय बालक तदुपरि भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा।

भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

7घ. केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण कपट, मिथ्या व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त किया गया था; या

(ख) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अप्रीति पूर्ण दर्शित किया है; या

(ग) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने, किसी ऐसे युद्ध के दौरान, जिसमें भारत लगा हुआ हो, किसी शत्रु के साथ विधिविरुद्धतया व्यापार किया है या संचार किया है या वह किसी ऐसे कारबार या वाणिज्यिक क्रियाकलाप में लगा रहा है या उससे सहयुक्त रहा है, जिसके बारे में उसे यह ज्ञात था कि वह ऐसी रीति से चलाया जा रहा है कि उससे उस युद्ध में किसी शत्रु को सहायता मिले; या

(घ) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को, धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर, दो वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट हो चुका है; या

(ङ) भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी विदेश के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों के हितों में या जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है; या

(च) भारत के ऐसे किसी कार्ड धारक विदेशी नागरिक का, जिसने धारा 7क की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन ऐसा कार्ड अभिप्राप्त किया है, विवाह,—

(i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्यथा विघटित कर दिया गया है; या

(ii) विघटित नहीं किया गया है, किन्तु ऐसे विवाह के बने रहने के दौरान, उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह का अनुष्ठापन किया है।''।

धारा 18 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ङङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ङङक) ऐसी शर्तें और रीति जिनके अध्यधीन किसी व्यक्ति को धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा;

(ङङख) धारा 7ग की उपधारा (1) के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के कार्ड के त्यजन की घोषणाएं करने की रीति;''।

तृतीय अनुसूची का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो वह ऐसी परिस्थितियों को अभिलिखित करने के पश्चात् बारह मास की अवधि को अधिकतम तीस दिन तक के लिए शिथिल कर सकेगी, जो विभिन्न खंडों में हो सकेगी।''।

निरसन और व्यावृत्ति। **7.** (1) नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2015 का अध्यादेश 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 3)

[19 मार्च, 2015]

मोटर यान अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 7 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1988 का 59 2. मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 2क का अंत:स्थापन।

"2क. (1) धारा 7 की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 9 की उपधारा (10) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध ई-गाड़ी और ई-रिक्शा को लागू होंगे। ई-गाड़ी और ई-रिक्शा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ई-गाड़ी या ई-रिक्शा" से, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए, यथास्थिति, माल या यात्रियों के वहन हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार, जो इस निमित्त विहित किए जाएं, विनिर्मित, सन्निर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और अनुरक्षित एक तीन पहियों वाला 4000 वाट से अनधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान अभिप्रेत है।"।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ई-गाड़ी या ई-रिक्शा को लागू नहीं होगी।"।

धारा 9 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम में धारा 9 की उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(10) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ई-गाड़ी या ई-रिक्शा को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी की जाएगी जो विहित की जाएं।"।

धारा 27 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (कक) से पहले, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) धारा 2क की उपधारा (2) के अधीन ई-गाड़ी और ई-रिक्शा से संबंधित विनिर्देश;"।

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(चच) ऐसी रीति और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए चालन-अनुज्ञप्ति, धारा 9 की उपधारा (10) के अधीन जारी की जा सकेगी;"।

निरसन और व्यावृत्ति।

6. (1) मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2015 का अध्यादेश संख्यांक 2

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 12)

[30 मार्च, 2015]

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2014 का 6

धारा 22 का संशोधन।

2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) में, "आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के 50 सदस्यों" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के 58 सदस्यों" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(i) उपधारा (1) में, "आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के 50 स्थान" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के 58 स्थान" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के खंड (i) में, उपखंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) विद्यमान प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	58	20	5	5	20	8";' ।

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 3, तारीख 26 दिसम्बर, 2014, खण्ड L का शुद्धिपत्रः–

पृष्ठ	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
262	अधिनियम का नाम	7	दि टेलीकॉम रेगयुलेटरी	दि टेलीकॉम रेगुलेटरी
343	26(2)(ग)	2	उन क्षेत्रों से	उन क्षेत्रों में
346	39	1	हैदराबाद स्थ्ति	हैदराबाद स्थित
365	पहली अनुसूची (ii)	5	अन्य असीन	अन्य आसीन
372	क्रम सं॰ 108 स्तंभ 1 और स्तंभ 2	1	आंगोले	ओंगोले
372	क्रम सं॰ 118	9 से 12	(बाहय विकास)	(बाह्य विकास)
375	स्तंभ शीर्ष	6	सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार
377	क्रम सं॰ 30	1	शंकपटनम मंडल ।	शंकरपटनम मंडल ।
377	क्रम सं॰ 34	1	रामाय पेट तथा शंकमरामपेट	रामायमपेट तथा शंकारामपेट
378	क्रम सं॰ 53	1	तथा शब्द मंडल ।	तथा शबद मंडल ।
396	क्रम सं॰ 68	2	कैटरिंग टेक्नोलॉजली	कैटरिंग टेक्नोलॉजी
406	4	1	धारा 13 उपधारा (2)	धारा 13 की उपधारा (2)
414	2(क) (ii) दूसरा परंतुक	2	धारा 115 कग, धारा 115क क	धारा 115 कग, धारा 115कगक,

डॉ॰ संजय सिंह,
सचिव, भारत सरकार।

महानिदेशक, मुद्रण निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में मुद्रित।

GMGIPMRND—2390GI(S3)—24-10-2015.